



राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवम् व्यवसायिक शिक्षा

डॉ० मोहम्मद उस्मान
एसोसिएट प्रोफेसर
किसान पी०जी० कॉलेज, बहराइच

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- समवर्ती सूची
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
- वै"वीकरण
- सकल नामांकन दर
- NPE 2020

समय के अनुसार शिक्षा के तरीकों और पाठ्यक्रमों में परिवर्तन आवश्यक होते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले 34 सालों से चली आ रही शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दे दी है। बदलते वि"व और वै"वीकरण के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए ऐसे परिवर्तनों और सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। शिक्षा नीति दे"ा और समाज का आने वाला कल कैसा होगया ये निर्धारित करने में अहम् भूमिका निभाती है। यह नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी प्रकार सुधारों पर ध्यान आकर्षित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उच्च शिक्षा से सम्बंधित अनेक परिवर्तनों और सुधारों को सुझाया गया है। अब महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारें इसे लागू कैसे करती है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों से ऐसा प्रतीत अव"य हो रहा है कि इसे जल्द ही लागू किया जा सकेगा और सही मायनों में शिक्षा के क्षेत्र में भारत एक नया मुकाम हासिल करेगा। इसी शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलावों को इस लेख में इंगित किया गया है। कई बार यह प्र"न उठाया जाता है कि छात्रों को अपने विषय मात्र के अलावा उनके आस-पास के मुद्दों, जरूरतों की कोई जानकारी नहीं है ऐसे में सरकार का सुझाव ऐसे संस्थान बनाना है जो अन्ततः अनु"ासनात्मक होंगे। इसका मुख्य उद्दे"य व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक,

भावनात्मक, भारीरिक्त क्षमताओं को विकसित किया जाना है। व्यक्ति के समग्र विकास के लिए कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा पर जोर दिया गया है। छात्रों के अपने स्थानीय निकायों, कलाकारों, भाोधार्थियों और शिक्षकों के साथ अपने या किसी दूसरे शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में कार्य करने और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें रोजगार में भी फायदा मिलेगा।

यदि उच्च शिक्षा के आंकड़ों को देखें तो आज देश का बड़ा तबका कई कारणों से इससे वंचित है। उच्च शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हर जिले या उसके आसपास कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान बनाये जाने का सुझाव दिया गया है ताकि सकल नामांकन दर जो कि 2018 में 26.30 प्रतिशत थी उसे 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके। उच्च शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कई आधारभूत बदलाव किये गये हैं। अभी तक की व्यवस्था में छात्र यदि किसी कारणवश अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देता है तो उसे किसी प्रकार की डिग्री या प्रमाण पत्र नहीं दिये जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके लिए अनेक सुझाव दिये गए हैं। यदि कोई छात्र एक वर्ष की पढ़ाई के बाद स्नातक छोड़ना चाहे तो उसे डिप्लोमा और तीन वर्ष पूरे करने पर स्नातक की डिग्री दी जायेगी। इस प्रकार की निकास व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा ऐसे छात्रों को होगा जो व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं विदेशी भाषाओं से जुड़े हैं। चूंकि इन क्षेत्रों में कई प्रकार के रोजगार सर्टीफिकेट या डिप्लोमा स्तर के प्रमाण पत्रों से मिल जाता है। यहाँ तक एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि जो छात्र चार साल की स्नातक करना चाहते हैं वे स्नातकोत्तर एक साल में ही कर पायेंगे।

इस नीति में M.Phil को हटाया गया है। M.Phil की अवधि किसी विश्वविद्यालय में 2 वर्ष है तो किसी में एक वर्ष। ऐसे में ये कहा जाता रहा है कि इतने कम समय में अच्छे भाोध की गुंजाइश कम ही होती है। इसके उलट कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इससे भाोध पर ही असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि चार साल की स्नातक का बी0ए0 भाोध के साथ दिये जाने की बात कही गयी है। अतः स्पष्ट है कि ऐसे छात्रों की भाोध कार्य करना होगा। अभी तक यह कार्य स्नातकोत्तर के बाद किये जाते थे। यद्यपि इस पर और अधिक स्पष्टता इसके पाठ्यक्रम बनने एवं लागू होने पर ही आयेगी।

छात्रों के बीच संवाद एवं रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के साहित्यिक, सांस्कृतिक समूह एवं विविध क्लब बनाये जायेंगे। इसमें शिक्षकों की भूमिका मार्गदर्शक की रहेगी। मेरा मानना है कि इस प्रकार के समूह छात्रों के बीच सहयोग, वाद-संवाद की भारतीय परंपरा को तो आगे बढ़ायेंगे ही साथ में ऐसे छात्र जो अपने विचार को बड़े मंचों पर या अधिक लोगों के सामने बोलने में असहज महसूस करते हैं उनके भीतर अपनी बात को तथ्यपरक तरीके से समझाने और कहने का आत्मविश्वास भी पैदा करेगा।

ऐसे छात्र जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त धनराशि दी जाने की वकालत भी इस नीति में की गयी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक आर्थिक मदद प्रदान की जा सके इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी छात्रवृत्ति देने को कहा गया है। हालांकि इसे लागू कर पाना कितना आसान होगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सरकार की ओर से इस क्षेत्र में उठाये गये कदम सराहनीय है। चूंकि इन वर्गों के विद्यार्थियों के नामांकन में भारी गिरावट देखने को मिलती है।

शिक्षा और भोध को विश्वस्तरीय बनाये जाने की चर्चा हमेशा से रही है। अब पी-एचडी के दौरान छात्रों को ऐसे विषयों के क्रेडिट कोर्स करने होंगे जो उन्हें भौक्षणिक गतिविधियों में परिपक्व बनायें। इन छात्रों को शिक्षक सहायक के रूप में भी पढ़ाना होगा ताकि ये बेहतरीन शिक्षक बन सकें। भोध और अनुसंधान के महत्व को समझते हुए सरकार राष्ट्रीय भोध संस्थान बनायेगी ताकि भोधार्थियों को आवश्यक आर्थिक सहायता मिल सके। जो विश्वविद्यालय अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें विदेशों में अपनी भाखा खोलने की अनुमति दी जायेगी। विश्व की सौ उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपनी भाखा खोलने की इजाजत भी मिलेगी। हालांकि इनके संचालन के तरीके क्या होंगे ये तो विस्तृत नियमों के आने के बाद ही साफ हो पायेगा। विदेशी विश्वविद्यालयों में नियमानुसार जो छात्र क्रेडिट पूरे करेंगे उनके ये क्रेडिट भारतीय विश्वविद्यालयों में मान्य होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह भारत का उच्च शिक्षा आयोग बनेगा। इनके अंतर्गत अनेकों विभाग होंगे जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं (कानून एवं मेडिकल को छोड़कर) के लिए नियामक संस्था होगी। साथ ही पारदर्शिता बनाये रखने के लिए संस्थाओं को अपनी जानकारीयां वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी होगी। सभी संस्थाएँ विनियमन (NHERC) प्रत्यापन (NAC) निधिकरण (HRGC) और अकादमिक मानक सेटिंग (GEC) पारदर्शिता से काम कर सके इसके लिए तकनीकों के माध्यम से कामकाज को बढ़ावा दिये जाने पर भी जोर दिया गया है।

उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात भारत में आज तक बहुत कम है ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बेहद नुकसानदायी होगा। अतः सरकार ने इस दिशा में उचित सुझाव दिये हैं। हालांकि ये किसी प्रकार काम करेगी ये तो नीति के व्यावहारिक तरीके से लागू होने के बाद ही पता चलेगा। पिछली शिक्षा नीतियों में भी शिक्षा पर अधिक खर्च की सिफारिशों के बावजूद अभी तक शिक्षा पर भारत में विकसित देशों की तुलना में काफी कम खर्च किया जाता रहा है जोकि सकल घरेलू उत्पाद के 44 प्रतिशत के लगभग है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे 6 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है। सरकार इस ओर सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिखा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि प्रस्तावित 6 प्रतिशत को खर्च किया जाता है तो भारत की शिक्षा के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम होगा लेकिन शिक्षा मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को यह भी ध्यान रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि ये नीति चरणबद्ध तरीके से समय पर चालू हों।

एक आधुनिक शिक्षक का कार्य जंगलों को काटना नहीं बल्कि रेगिस्तान को सींचना है।
सी0एस0 लेविस

आकड़े जानकारी नहीं है, जानकारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझ नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है।
विलफोर्ड स्टील

संदर्भ ग्रंथ:

हिंदी:

1. गेंड, डी.एन. तथा भार्मा, आर.पी. “शैक्षिक एवं माध्यमिक शिक्षालय व्यवस्था राम प्रसाद का विकास एवं समस्याएं”, रस्तोगी पब्लिकेशन, गीवाजी रोड, मेरठ
2. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन (1986), मिनिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली-1996
3. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_Hindi_0.pdf
4. Agarwal,P.(2007).Higher education in India: Growth, concerns and change agenda. Higher Education Quarterly,61(2), 197-207.
5. Altbach, P.G. (2009), One-third of the globe:The future of higher education in china and India. Prospects,39(1),11.

